

30.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रकरण काफी पुराना 158/2011 का है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Wang

सद्व्यक्त कलक्टर
एवं उपब्रण्डाधिकारी
हनुमान

